

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आब्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
47/2023

दायर दिनांक  
03.02.2023

निर्णय दिनांक  
26.02.2024

उनवान

1. बालु पुत्र श्री मोती लाल सुनार आयु वयस्क निवासी कालसांस तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. रामसिंह पुत्र श्री कालू सिंह राजपूत आयु वयस्क निवासी कालसांस तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी श्री सत्यनारायण दरोगा आयु वयस्क निवासी कालसांस तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री देवसुख कीर आयु वयस्क निवासी कालसांस तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. छोटू पुत्र श्री काना दरोगा आयु वयस्क निवासी कालसांस तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. हजारी पुत्र श्री रामा भील आयु वयस्क निवासी कालसांस तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा।


—विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी पृथ्वीराज चौधरी  
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 03 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कालसांस प0ह0 रीछड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 346 की अभिलिखित आराजियात 1582 कुल किता 01 कुल रकबा 0.7208 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।


  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 03 उपस्थित नहीं है और अप्रार्थी संख्या 04 व 05 की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काशतकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि कालसांस प0ह0 रीछड़ा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 346 की अभिलिखित आराजियात 1582 कुल किता 01 कुल रकबा 0.7208 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(आलय निर्वाह, सोमनाथ)  
उपस्थित अधिकारी  
भीलवाडा